अनवान

01. जगनाथ पिता काना जी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

_____प्रार्थी

**बनाम**

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....अप्रार्थी / विपक्षी

उपस्थित :– श्री रामफूल धाकड अधिवक्ता — प्रार्थी
पैराकार सरकार — अप्रार्थी / विपक्षी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

### निर्णय

दिनांक :– 11.02.2017

प्रकरण मे सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 22.12.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी / विपक्षी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दिनांक 06.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये समन विपक्षी को मलब किया गया। न्यायालय द्वारा जारी समन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये।

नियत पेशी दिनांक को विपक्षी पेरोकार सरकार उपस्थित हो जवाब हेतु समय चाहा गया। वकील प्रार्थी ने मौका निरीक्षण हेतु निवेदन किया। ग्राम सुखपुरा स्थित आराजी नं0 277 / 2 रकबा 0–17 बीघा, आराजी नं0 278 रकबा 1–00 बीघा भूमि में आने जाने हेतु 20 फीट रास्ता जो कि आराजी नं0 465 / 277 के पूर्वी मेड के सटता हुआ प्रार्थी की आराजी नं0 277 / 2 एवं 278 मे जा रहा है। जहां से प्रार्थी अपनी अन्य आराजीयात मे भी आने जाने अपनी आराजी 465 / 277 में 20 फीट रास्ता की मांग की है।

राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय बिजौलियां मे दिनांक 11.02.2017 को पेश होने हेतु समन नोटिस भिजवाये गये।

मामले में तहसीलदार बिजौलियां से मौका स्थिति की रिपोर्ट रास्ते बाबत् तलब की गई। तहसीलदार बिजौलियां के अपने पत्रांक / 2017 / 170 से रिपोर्ट प्रस्तुत की पटवार हल्का सुखपुरा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सुखपुरा की आराजी नं0 277 / 2 रकबा 0–17 बीघा एवं आराजी नं0 278 रकबा 1–00 बीघा कुल किता 02 रकबा 1–17 बीघा भूमि जगनाथ पिता काना धाकड के नाम दर्ज रेकार्ड है जिस पर आने जाने हेतु आराजी नं0 465 / 277 रकबा 4–00 बीघा भूमि मे से होकर एक रास्ता गुजरता है जो वादी के काम आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

आराजी नं0 465/277 रकबा 4–00 बीघा बजड भूमि राजस्व में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। मौके पर वादी उपयोग में लिये जा रहे रास्ते की लम्बाई 52 मीटर व चौडाई 4.5 मीटर कुल 234 वर्गमीटर होकर जिसका रकबा 0–03 बीघा बनता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्विक रास्ता नही है। तथा उक्त आराजी में रास्ता दर्ज करने के लिए कोई सार्वजनिक आपत्ति नही होने पर रास्ता दर्ज करने की अभिशषां की जाती है। प्रस्तावति रास्ते की भूमि की डीएलसी दर 87970/– रूपये प्रति बीघा की दर से 13197/– रूपये की मालियात होती है। और नियमानुसार भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 26394/– रूपये बनती है रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका पर्चा व नक्शा ट्रेस पर मनन किया अवलोकन से प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सुखपुरा की आराजी नं0 277/2 रकबा 0–17 बीघा एवं आराजी नं0 278 रकबा 1–00 बीघा पर पहुचने के लिये आराजी नं0 465/277 मे से 0–03 बिस्वा, भूमि मे रास्ता प्रार्थी को मिलने पर व सुखाधिकार से अपने आराजीयात पर पहुच सकेगा। तहसीलदार बिजौलियां ने भी नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शे में इन्ही तथ्यो को अंकित किया है। नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी की भूमि पर जाने के लिये विकल्प में कोई रास्ता नही होने से प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की है। ग्राम सुखपुरा की डीएलसी 87970/– रूपये प्रति बीघा है। रास्ते की भूमि 0–03 बिस्वां भूमि की किमत 13197/– रूपये बनती है। रास्ता प्रयोजन डीएलसी दर की दुगनी राशि 26394/– रूपये बनती है जो प्रार्थी द्वारा राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूमि जमा में जमा करवाने पर ग्राम सुखपुरा की बिलानाम आराजी नं0 465/277 मे से (लम्बाई 52 मीटर व चौडाई 4.5 मीटर कुल 235 वर्ग मीटर) 0–03 बिस्वा, भूमि को राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडिया आदि) में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(आलोक जैन)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाडा)